संख्या : 27/2017/30/छप्पन-2017-77/2017

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
असचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2017

विषय: अगुस्ता ए-109 एस हेलीकाप्टर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 29/3/2017 से 04/04/2017 तक अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर इंस्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमेरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:103/ना030नि0/आप्स-एस0के0गिरी/2016, दिनांक 05.01.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016'17 में विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को अगुस्ता ए-109 एस हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर इंस्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 29-03-2017 से 04-04-2017 तक (यात्रा तिथियों को सम्मिलित करते हुए) प्रशिक्षण कराये जाने के लिये विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में दी गयी स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन है -

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में विंग कमां0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत डयूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि कमें उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) विंग कमां0 एस0के0 गिरि को भारत से इटली एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) विंग कमां0 एस0के0 गिरि को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता / यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/ आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि की अनियमितता के लिये निदेशक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं / फर्म को भुगतान की गयी धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

3- उक्त विदेश यात्रा पर संन्निहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- जी-1-71/दस-2017, दिनांक 07.3.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या : 27/2017/30(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।